"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2007—आश्विन 20, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास महासमुंद जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 24 सितम्बर 2007

प्ररूप क्र. 5
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक महासमुंद जिला महासमुंद के समक्ष

क्र./1031/पं. लो. न्या./07.—यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिए, मैं डी. एल. वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोक न्यासों का पंजीयक महासमुंद जिला मेरे न्यायालय में 2007 के अक्टूबर माह के 25 दिवस पर, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत

करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री शक्ति पीठ, बरोंडा चौक महासमुंद, तहसील व जिला महासमुंद छ. ग.

(2) अचल संपत्ति : महासमुंद, प. ह. नं. 142, रा. नि. मं. महासमुंद में स्थित भूमि-

खसरा नंबर	रकबा
2036/2	0.016 हे./1748 वर्गफुट
2036/6	0.045 हे./4916 वर्गफुट
योग 02	**0.061 हे./6664 वर्गफुट**

(3) चल संपत्ति :

क्रमांक	सामग्री विवरण	मात्रा	राशि (रुपयों में)
1.	स्टील आलमारी	05 नग	15000.00
2.	लकड़ी का अन्न घट	02 -,,-	2000.00
3.	लकड़ी का रेक	02 -,,-	2000.00
4.	लकड़ी का पाटा	02 -,,-	2000.00
5.	फूलदान (पीतल)	04 -,,-	1200.00
6.	दीपदान	02 -,,-	1000.00
7.	टेबल	02 -,,-	1000.00
8.	घंटी	02 -,,-	500.00
9.	कुर्सी (प्लास्टिक)	06 -,,-	1200.00
10.	दानपेटी	01 -,,-	1200.00
11.	साउण्ड सिस्टम	01 सेट्स	20000.00
12.	विद्युत (मीटर, वायरिंग, ट्यूब-लाईट एवं पंखे)	-	20000.00
13.	सायकिल	01 नग	500.00
14.	ज्वेलरी (मुकुट, करधनी, नथ, बिछिया, पायजेब, हार)	-	20000.00
15.	वाद्य यंत्र (हारमोनियम, तबला, नाल, मंजिरा)	-	2000.00
16.	बर्तन-बड़ा गंजी-01, थाली-50, गिलास-50, तस्तरी-10, चम्मच-10, कटोरी-20.	-	4000.00
17.	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर	01 सेट्स	1800.00
18.	चित्र एवं पोस्टर	06 नग	2000.00
19.	ज्ञानरथ	01 नग	1000.00
20.	साहित्य वांगमय	70 खण्ड	7000.00
21.	टेलीफोन संयोजन	01 नग	2000.00
	योग		**89400.00**

डी. एल. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.